classmate
Date
Page

DATE: 22/08/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 07 (UNION EXECUTIVE: COUNCIL OF MINISTERS AND THE PRIM MINISTER)
LECTURE NO. - 43 (FORTY THREE)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य एवं उसकी भूमिका –

भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, परन्तु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। इसलिए व्यावहारिक रूप में, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य एवं उसकी भूमिका इस प्रकार हैं—

(i) मंत्रिपरिषद् के प्रधान के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना।

(ii) मंत्रिपरिषद् के गठन में निर्णायक भूमिका।

(iii) मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करना एवं उनके कार्यों की पर्यवेक्षण और प्रगति को देखना।

(iv) मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करना एवं उचित दिशा-निर्देश देना।

Scanned with CamScanner

(v) प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसकी बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।

(vi) प्रधानमंत्री नीति-निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करता है।

(vii) संघ के प्रशासन और विधान से सम्बंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करना, जिसकी राष्ट्रपति माँग करें।

(viii) विभिन्न अधिकारियों, जैसे- भारत का महान्यायवादी महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य आदि की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देना।

(ix) लोकसभा के नेता की भूमिका का निर्वाह करना, अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो।

(x) संसद में अपने सहयोगियों द्वारा दिये गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करना और अपने सहयोगियों के भाषण में आवश्यक संशोधन करने का कार्य प्रधानमंत्री का ही है।

(xi) मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच सम्बंध स्थापित करने में अहम भूमिका अदा करना।

(xii) वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक के निर्माण में आवश्यक निर्देश देना।

Scanned with CamScanner

(xii) राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने सम्बंधी परामर्श देना।

(xiii) लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है।

(xiv) प्रधानमंत्री सभा-पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा-निर्देश, जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है।

(xv) लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है।

(xvi) नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष की भूमिका का भी निर्वाहन करना प्रधानमंत्री का दायित्व है।

(xvii) विदेश नीति का अंतिम रूप से निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है।

(xviii) विपत्तिकाल एवं आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री की भूमिका और अहम हो जाती है।

(xix) संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका।

Scanned with CamScanner